सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{07 आषाढ़, 1944 (श०)}}{\text{28 जून, 2022 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 138

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	82
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	03
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	15
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	13
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	06
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	05
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	04
(8)	परिवहन विभाग	..	..	08
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	02
			कुल योग --	138

बस स्टैण्ड बनाना

*94. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इताढ़ी में बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण प्रायः जाम लगा रहता है, जबकि इताढ़ी बाजार में बस स्टैण्ड हेतु सरकारी जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बक्सर की इताढ़ी बाजार में जमीन अधिग्रहण कर बस स्टैण्ड बनाने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियमों का आधुनिकीकरण करना

*95. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय के DSA ग्राउण्ड, जिला स्कूल स्टेडियम सहित अन्य स्टेडियम में राज्यस्तरीय क्रिकेट, फुटबॉल तथा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीमांचल क्षेत्र के खिलाड़ी उक्त स्टेडियम में प्रैक्टिस करके राज्यस्तरीय एवं नेशनल स्तर तक के खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु आधुनिक सुविधा के अभाव तथा दिन-रात के खेलों के आयोजन हेतु फ्लडलाईट, सैंथेटिक पीच की व्यवस्था नहीं रहने के कारण खेल के आयोजक तथा खिलाड़ियों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेल के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पूर्णियाँ मुख्यालय के उक्त स्टेडियमों में फ्लडलाईट, सेंथेटिक पीच की व्यवस्था सहित आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*96. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद के पत्रांक 529, दिनांक 16 अप्रील, 2022 द्वारा औरंगाबाद जिले के कुल 162 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, जो भूमिहीन हैं उनको भूमि उपलब्ध कराने हेतु औरंगाबाद के सभी अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) के आलोक में औरंगाबाद जिला के अंचल अधिकारियों द्वारा अबतक कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके कारण स्कूल में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*97. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत श्री सीमेंट कारखाने को पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत है एवं श्री सीमेंट कारखाने में इस्तेमाल हेतु पानी की व्यवस्था सोन नदी से की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कारखानों के द्वारा Deep Boring कर पानी का निकासी किया जा रहा है, जिसके कारण कारखाने के आस-पास पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे पेयजल हेतु पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कारखाने के चिमनी से निकलने वाले मलबा एवं धुआँ के कारण स्थानीय इलाके का वातावरण प्रदूषित हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*98. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर NOTRE DAME एकेडमी स्कूल में 25 परसेंट निर्धन छात्रों का नामांकन कर उसे अलग वर्ग में बैठाया जाता है जबकि सरकार का निर्देश है कि संबंधित वर्ग के छात्र उक्त विद्यालय के छात्रों के साथ वर्ग में बैठेंगे, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की कबतक जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांग छात्रावास का निर्माण

*99. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये एक भी छात्रावास नहीं होने के कारण दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिला में कबतक दिव्यांग छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय में वृद्धि

*100. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा आँगनबाड़ी सेविका को रुपया 5,650 एवं सहायक को रुपया 2,825 दी जाने वाली मानदेय की राशि से इस महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सेविका एवं सहायक का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता

*101. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरुआ प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथखाप पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, रघुनाथखाप को उत्क्रमित कर 10 + 2 इन्टरस्तरीय का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 10 + 2 के भवन निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है एवं मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कार्यों की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कन्या उत्थान योजना का लाभ

*102. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने संबद्ध कॉलेजों की छात्राओं को भी कनीय उत्थान योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी है परंतु इसमें वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को भी कबतक इस योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

*103. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड में वर्ष 2021 में प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों के नियोजन में व्यापक गड़बड़ियां पाई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा किये गये जाँच में गलत बहाली के लिये 9 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, लेकिन नियोजन के लिये जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत ढंग से शिक्षकों को बहाल करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि व्याख्याताओं/अनुदेशकों की नियमित नियुक्ति

*104. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित 38 अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 44 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वैकल्पिक शिक्षण कार्य अधिकांशतः अतिथि व्याख्याताओं/अनुदेशकों के द्वारा करायी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन संस्थानों में नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण बहुत दिनों से अतिथि व्याख्याता/अनुदेशक कार्य तो कर रहे हैं, परंतु इनकी सेवा का संरक्षण नहीं मिलने से उत्कृष्ट अध्यापन कार्य में बाधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन संस्थाओं में उत्कृष्ट अध्यापन कार्य हेतु व्याख्याताओं/अनुदेशकों की नियमित नियुक्ति एवं सेवा का संरक्षण देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोड आवंटन कराना

*105. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनियाँ प्रखंड में महंथ श्री राम नारायणगिरी +2 उच्च विद्यालय को कोड आवंटन नहीं होने के कारण पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेशिकोत्तीर्णता के बाद आगे की पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को +2 का कोड आवंटन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू खरीद-बिक्री की वैकल्पिक व्यवस्था

*106. श्री मुरारी प्रसाद गौतम(क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड सोन नदी के किनारे होने के बावजूद बालू निकासी पर रोक होने से वहाँ के लोगों को निर्माण कार्य के लिये उक्त प्रखंडों से लगभग 100 किलो मीटर दूर से बालू खरीद कर लाना पड़ता हैं, जिसके कारण उक्त प्रखंडों में होने वाले सरकारी निर्माण कार्य एवं गैर-सरकारी निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में बालू खरीद-बिक्री की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना

*107. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महिला पॉलिटेक्निक खोलने का निर्णय पाँच वर्ष पूर्व लिया गया था, परंतु अभीतक गोपालगंज में महिला पॉलिटेक्निक नहीं खुला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गोपालगंज जिला में महिला पॉलिटेक्निक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पहाड़ उत्खनन का विस्तार

*108. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या 02/एम0एम0(वा)-35/20-2646/एम0, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77(2) के अन्तर्गत कोरोना का हवाला देकर बालू खनन का विस्तार किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना के कारण पहाड़ का उत्खनन बंद रहा और सरकार द्वारा लीजधारी से पूरे समय का पैसा लेकर पहाड़ उत्खनन का विस्तार नहीं किया गया, जिसके कारण विकास कार्य एवं राजस्व की क्षति हुई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालू विस्तार की तरह पहाड़ उत्खनन का विस्तार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*109. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के मानदेय का निर्धारण भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड ने 5 वर्ष पहले ही कर दिया था, परंतु बिहार शिक्षा परिषद् की तरफ से भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय न देकर उससे कम मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार कबतक मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार

*110. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--स्थानीय दैनिक अखबार के दिनांक 6 जून, 2022 में प्रकाशित खबर का शीर्षक ''हुलासगंज में स्टेडियम खंडहर में हुआ तब्दील'' के आलोक में क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज हाई स्कूल के खेल मैदान में बना स्टेडियम जर्जर हो चुका है और दर्शक दीर्घा झाड़ियों में तब्दील एवं चहारदीवारी भी कई जगह टूट चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम में अंतर्जिला फुटबॉल टुर्नामेंट होते रहा है तथा आज भी यह खेल व्यायाम तथा दौड़ के लिए प्रखंड स्तर का यह सबसे बेहतर मैदान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*111. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखंड के विशनपुर बाजार पंचायत के महावीर रानीपट्टी उच्च विद्यालय, टिकुलिया एवं रामनगर महेश पंचायत के उच्च विद्यालय, रामनगर में पर्याप्त भवन एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालय में भवन का निर्माण एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नाम

*112. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के हरदीया पंचायत के ग्राम-रामपुर पचासी में स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रामपुर पचासी के लिए आवंटित जमीन राम लखन राय का निजी जमीन था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निजी जमीन आवंटन की स्थिति में विद्यालय का नाम जमीन आवंटनकर्ता के नाम से रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालय का नाम आवंटनकर्ता के नाम पर रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घोड़परास की समस्या से निजात दिलाना

*113. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मोरवा, ताजपुर एवं पटोरी प्रखण्ड में घोड़परास (नीलगाय) के कारण खेतों में लगी फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति पहुँच रही है और ये किसान आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखण्डों में घोड़परास (नीलगाय) से किसानों को निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाना

*114. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अन्तर्गत फ्लेक्सी फंड से आंगनबाड़ी सेविका/महिला पर्यवेक्षिका एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का प्रोत्साहन राशि आने के बावजूद संबंधित कर्मियों को अबतक इसका लाभ नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अन्तर्गत फ्लेक्सी फंड से वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के प्रोत्साहन राशि का लाभ संबंधित कर्मियों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा में अतिरिक्त भवन का निर्माण

*115. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखण्ड के सोंथा पंचायत वार्ड नं0 3 अंतर्गत मदरसा अलहलाल पुठीमाडी मोमीन टोला मदरसा नं0-609/358 में सिर्फ 2 कमरे का पक्का भवन है, जिसके कारण बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मदरसा में अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*116. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2014 में राज्य के सभी उच्च विद्यालयों को एक साथ बिना शिक्षकों की बहाली किये, बिना आधारभूत संरचना के प्लस टू में अपग्रेड कर दिया गया था, उत्क्रमण के आठ साल बाद भी राज्य के अधिकांश प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना और आधारभूत संरचनाएँ विकसित नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के सभी प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध खनन करने वाले पर कार्रवाई

*117. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत बेलौटी पंचायत में बाबा बैजूधाम प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो मोरहर नदी के तट पर स्थित है, जिसके किनारे छठ घाट बना हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बालू माफियाओं द्वारा छठ घाट के समीप नदी में अत्यधिक गहराई तक बालू खनन के कारण गत वर्ष स्नान के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और बाबा बैजूधाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के डूबने की संभावना हमेशा बनी रहती है ;

(3)यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बालू खनन को रद्द करते हुए संवेदक एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू माफियाओं पर कार्रवाई

*118. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत खनन विभाग के ठेकेदारों द्वारा बालू घाटों पर डोजर मशीन एवं पोकलेन मशीन का उपयोग से नदी में जगह-जगह 100 फीट या उससे ज्यादा गहराई कर बालू का अवैध खनन किया जाता है, गहराई ज्यादा होने के कारण अक्सर लोग डूब कर मौत का शिकार हो जाते हैं, अवैध खुदाई से नदी का कटाव की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बालू माफियाओं एवं ठेकेदार पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति प्रदान करना

*119. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत कठौतिया केवाल के मनहोना चन्दन बाँध आहर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पचास वर्षों से नहीं हुआ है और इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019 में निविदा हुआ था परंतु कुछ भाग की भूमि वन विभाग के अधीन रहने के कारण वह निविदा स्थगित कर दिया गया तथा उप वन संरक्षक ने पत्रांक 01, दिनांक 04 जनवरी, 2022 के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से इस योजना में 2.50 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव माँगा गया था, जो अभीतक विचाराधीन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना के जीर्णोद्धार हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*120. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के संस्कृत उच्च विद्यालय, मुंगेर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय का भवन निर्माण कराते हुए शिक्षकों की नियुक्ति कर पढ़ाई व्यवस्था बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की बहाली एवं चहारदीवारी बनाना

*121. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के म0 वि0, दादपुर (ढोढिया दादपुर) में पर्याप्त भवन, शिक्षक एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है साथ ही 2012 में ही विभाग के द्वारा जो भवन बनाया गया था वो आजतक पूर्ण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उस अधूरे भवन का निर्माण कराकर अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली एवं चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का स्थानांतरण

*122. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के आंदर प्रखण्ड के पंचायत अरकपुर अंतर्गत अरकपुर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज की स्वीकृति वर्ष 2013-14 में दी गई परंतु भूमि और भवन के अभाव में अबतक पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज को उसी पंचायत के दूसरे ग्राम-महमंदपुर या सदलपुर में स्थानांतरित करके पठन-पाठन कराया जा सकता है, यदि हाँ, तो सरकार भूमि एवं भवन की व्यवस्था होने तक के लिए उक्त विद्यालय को महमदपुर या सदलपुर स्थानांतरित कर पठन-पाठन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपीलीय प्राधिकार में सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति

*123. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में 1 जनवरी, 2021 से जिला अपीलीय प्राधिकार में पीठासीन पदाधिकारियों का पद रिक्त होने के कारण अभीतक बहुत सारे न्यायिक मामले लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गठित अपीलीय प्राधिकार में पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*124. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के दरौली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णपाली में वर्ष 2014-15 में मध्य विद्यालय, कृष्णपाली को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें नौवीं-दसवीं वर्ग में 110 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं, बच्चों की इतनी संख्या पर मात्र 2 ही शिक्षक हैं इससे बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार छात्रों के अनुपात में कबतक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*125. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल प्रखण्ड के रामपुर वैना में स्टेडियम नहीं रहने के कारण छात्र-युवाओं को काफी दिक्कत होता है, यदि हाँ, तो सरकार अरवल प्रखण्डे के ग्राम-रामपुर वैना में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*126. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत के परेवा तुरहा टोली वार्ड नं० 1 (अनुसूचित जनजाति बहुल्य) ग्राम में प्रा० विद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को 3 कि०मी० दूर जाना पड़ता है, वर्ष 2007 में उक्त ग्राम में नव० प्रा० विद्यालय की स्वीकृति दी गयी है एवं विद्यालय के निर्माण हेतु सरकारी जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में नव० प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*127. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तरैया प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, तरैया, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोखरेरा में भवन की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*128. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के मौजा झरूवाडांगी थाना- 161, खाता संख्या 41, खेसरा संख्या 46 स्थित भूमि पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, किशनगंज का पत्रांक 64/शा/शिक्षा, दिनांक 30 जुलाई, 2021 के द्वारा सभी प्रस्ताव को संयुक्त रूप से जाँचोपरांत अर्हता के अनुरूप बतलाया गया है एवं जिला पदाधिकारी द्वारा भी इसके लिये अनुशंसा की जा चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर स्टेडियम कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खुला जिम पार्क निर्माण

*129. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड में युवाओं को शारीरिक विकास सहित बड़े बुजुर्गों को सुबह टहलने हेतु कोई पार्क नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार मैरवा प्रखंड परिसर में कबतक खुला जिम पार्क निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन की व्यवस्था

*130. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, विज्ञान, एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है, जिसका उद्‌घाटन दिनांक 21 जून, 2021 को संपन्न हो चुका है, किन्तु कॉलेज में अभी तक पठन-पाठन नहीं संचालित नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कबतक पठन-पाठन की व्यवस्था प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*131. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोकमानपुर में पर्याप्त भवन एवं शिक्षक नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*132. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत स्थित राजकीयकृत गांधी स्मारक+2 विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या लगभग 950 है, जबकि पठन-पाठन हेतु कमरों की संख्या मात्र दो ही है एवं उक्त विद्यालय की चहारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, जिससे छात्र/छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मियों को सुविधाएं एवं लाभ देना

*133. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित प्रखण्ड साधन सेवी तथा जिला साधन सेवी को अन्य विभागीय संविदा कर्मियों की तरह आवास भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अनुकम्पा का लाभ नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मियों को अन्य संविदा कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं एवं लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा की राशि देना

*134. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 की अधिसूचना संख्या 4887, दिनांक 11 अगस्त, 2021 की कंडिका 225E के क्रमांक 3 द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति/घायल व्यक्ति का अनुदान हेतु दावा अधिकतम 60 दिनों में दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा की राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला खगड़िया के गोगरी थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 557/21, दिनांक 27 नवम्बर, 2021 द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को ग्राम-शेरगढ़ निवासी राकेश कुमार पिता-सदानंद यादव की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दर्ज की गयी है, तत्संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्र संख्या 25, दिनांक 7 जनवरी, 2022 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया एवं थानाध्यक्ष, गोगरी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घायल को मुआवजा की राशि कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*135. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिये सातवां चरण प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों की नियुक्ति में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन नहीं लिया जाता हैं एवं डोमिसाइल (स्थानीय नीति) भी लागू नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सातवें चरण में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेकर डोमिसाइल नीति लागू करके शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चयन करना

*136. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के लिये BRP चयन मार्गदर्शिका 2017 के भाग-2 के कण्डिका 2-3 के अनुसार प्रखण्ड साधन सेवी (BRP) के पदों पर चयन अधिकतम तीन वर्षों के लिये करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न प्रखण्डों में पाँच वर्षों से अधिक समय से प्रखण्ड साधन सेवी (BRP) अपने पदों पर कार्यरत हैं जो उक्त प्रावधान एवं कण्डिका का उल्लंघन है तथा अधिक

समय तक अपने पदों पर रहने के कारण BRP एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है, जिससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत BRP को मूल विद्यालय में भेजने तथा सिरे से BRP का चयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजित करना

*137. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिलट महथा आदर्श महाविद्यालय, बहेड़ी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा की अंगीभूत इकाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के पत्रांक 13/26616/70, दिनांक 18 दिसम्बर, 1970 तथा पत्रांक 1333/शि०, दिनांक 5 अगस्त, 1981 द्वारा कुल 30 पद सृजित किया गया था, को रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) के बाद 9 पद वापस कर दिया गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुये उन पदों को फिर से महाविद्यालयों को वापस कर सृजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*138. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दरियागाँव प्रखण्ड पंचायत अंतर्गत ग्राम-तेन्दुआं में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे 03 कि०मी० चलकर ग्राम-मूरी में पढ़ने जाते हैं, जिससे इन छोटे बच्चों को पठन-पाठन काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*139. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहारीगंज (मधेपुरा) निर्वाचन क्षेत्र के बिहारगंज प्रखण्ड में राजकीय बुनियादी विद्यालय, तुलसिया का स्टेडियम निर्माण संबंधित स्वीकृत्यादेश 104/दिनांक 13 जून, 2017 है, जिसकी प्राक्कलित राशि 54,74,700 है एवं ग्वालपाड़ा में स्टेडियम निर्माण का स्वीकृत्यादेश 258, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 है, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,26,35,000 है परंतु निर्माण कार्य अबतक पूरा नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों स्टेडियम का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*140. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर के वृन्दावन पंचायत के मौजा सिसवा बसंत महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड नहीं रहने के कारण सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड के निर्माण कार्य कराने हेतु अंचलाधिकारी, कल्याणपुर द्वारा अपने पत्रांक 311, दिनांक 26 फरवरी, 2022 को मौजा सिसवा बसंत, थाना नं० 163, खाता नं० 27, खेसरा नं० 1277, रकबा 50 फीट X 60 फीट, गैर-मजरुआ आम भूमि का प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी को भेजा जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*141. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, सिसौनी में 200 छात्र-छात्राएँ बांस तथा फूस के बने भवन के पठन-पाठन कर रहे हैं तथा बरसात एवं कड़ी धूप में उन्हें पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवनों का निर्माण

*142. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में उच्च विद्यालय, महेश बथना सहित कुल 12 उच्च विद्यालय एवं टेढ़ागाछ प्रखंड के उच्च विद्यालय, रहमतपुर सहित कुल चार विद्यालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालव परिसर का जीर्णोद्धार

*143. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत भरगामा प्रखंड के सिमरबनी पंचायत स्थित नंदकिशोर पुस्ताकलय जो एक एकड़ 81 डिसमिल जमीन के रकबा में स्थित है, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा उसकी चहारदीवारी भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इस पुस्तकालय परिसर का चहारदीवारी निर्माण कराकर उसका जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*144. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, (मेनन) मधुबनी का भवन भूकम्प में ध्वस्त हो जाने के कारण पढ़ाई-लिखाई ठप हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*145. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के मेदन सिरसिया एवं बथना पंचायत सहित अधिकांश पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन नहीं है, जिसके कारण बच्चों को अपेक्षित स्वाच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया विधान सभा क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूल अंक-पत्र देना

*146. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-182 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालय में तीन वर्षों का B.A/B.SC/ B.COM कोर्स की डिग्री 5 से 6 वर्षों में दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना समेत सभी विश्वविद्यालय में वर्ष 2018–2021 स्नातक कोर्स में Part -II का परीक्षा 2019 में संपन्न हो चुका है Part - III का भी परीक्षा होकर परिणाम निकल चुका है लेकिन Part-II का मूल अंक-पत्र अभीतक छात्रों को नहीं मिला है जिसके कारण राज्य के बाहर उच्च शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हजारों छात्र-छात्रों का औपबंधिक नामांकन को रद्द किये जाने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी विश्वविद्यालय के सत्र के नियमित एवं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्नातक 2018–2021 सत्र के Part-III का मूल अंक-पत्र कबतक दिये जाने का विचार रखती है ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*147. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज महुअवा पूर्वी के हिरापट्टी (अनुसूचित जन-जाति बहुल्य) ग्राम में नव०प्रा० विद्यालय कि स्वीकृति वर्ष 2006 में दी गयी है एवं विद्यालय के निर्माण हेतु सरकारी जमीन भी उपलब्ध है, उक्त ग्राम में विद्यालय नहीं होने से छोटे बच्चे एवं बच्चियों को 3 कि०मी० पैदल चलकर दूसरे विद्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनुसूचित जन-जाति बहुल्य ग्राम में नव० प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*148. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित ग्राम-सिकन्दरपुर, पोस्ट-दलियाना आंगनबाड़ी केन्द्र सं० 99 पर कार्यरत सेविका स्व० अशरफी देवी, पति श्री देववचन मोची की दिनांक 14 अप्रील, 2018 एवं नौबतपुर प्रखंड के पंचायत+ग्राम-बारा के वार्ड संख्या 709 की सेविका स्व० चन्द्रकांती देवी, पति स्व० गोरख मिस्त्री की मृत्यु दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को होने के उपरान्त अभीतक स्व० सेविकाओं के आश्रितों को सरकारी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित स्व० सेविकाओं के आश्रितों को मुआवजा राशि की भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों में कमरों का निर्माण

*149. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, केवटिया एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जितवारपुर में 500 विद्यार्थियों के लिये मात्र दो ही कमरा है जिससे पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है, जबकि विद्यालय में कमरा बनाने हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालयों में कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का स्थानांतरण

*150. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1.) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के पथरा उत्तर पंचायत के वार्ड नं० 05 में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, संथाली टोला को अपना किचेन शेड एवं शौचालय है तथा विधायक मद से वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को वर्तमान में निर्मली पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं० 01 में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, निर्मली में शिफ्ट कर दिया गया है, जो मूल विद्यालय से काफी दूर है तथा बच्चों को पठन-पाठन हेतु सुपौल-पिपरा एन०एच० पथ को पार कर जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने की काफी अधिक संभावना रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को मूल स्थान पर संचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*151. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बसंतपुर उत्तर तथा कुमारखंड प्रखंड के टेंगराहा परिहारी उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गोकुल में भवन एवं चहारदीवारी नहीं होने से छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण एवं उनके परिसर का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा बोर्ड एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बहाली

*152. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार मदरसा बोर्ड एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पिछले 6 महीनों से खाली रहने के कारण बोर्ड संबंधी कार्य संपादन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन दोनों बोर्डों के अध्यक्षों की बहाली का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*153. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम जिले के सिकटा व मैनाटांड़ दोनों प्रखंड मुख्यालयों में बस स्टैण्ड नहीं है, जबकि सिकटा व मैनाटांड़ प्रखंड मुख्यालयों से बेतिया, रक्सौल, नरकटियागंज के लिये प्रतिदिन हजारों हजार लोगों का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालयों में कबतक बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधार गृह की व्यवस्था

'क'-*154. श्री रामबली सिंह (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब पीने वाले को गिरफ्तार कर सरकार उसी जेल में रखती है, जिस जेल में स्वस्थ बंदी रहते हैं तथा शराबियों में कई तरह के बीमारी का संक्रमण अन्य बंदियों में भी हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार इन शराब पीने वाले कैदियों को स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त अलग सुधार गृह में रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धा आश्रम का निर्माण

*155. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा प्रत्येक अनुमंडल में एक वृद्धा आश्रम बनाने का निर्णय लिया गया है परंतु दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं है, जबकि बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत के पंचायत भवन के निकट सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सरकारी जमीन पर वृद्धा आश्रम का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'क'- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

वित्तीय अनियमितता की जाँच

*156. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत रामेश्वर यादव, मनिहारी कॉलेज, मनिहारी में माननीय उच्च न्यायालय, पटना CWJC No. 12385/12 के निर्देश पर नियुक्त नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति को CWJC No. 23808/12 में हस्तक्षेप आवेदन I.A No. 6733/15 द्वारा दी गयी चुनौती को विचार योग्य नहीं मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2016 को अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी CWJC No. 12385/12 में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2012 द्वारा प्रतिबंधित प्रभारी प्राचार्य को बनाये रखकर कॉलेज शासी निकाय द्वारा अधिनियम और विभागीय आदेशों की अवहेलना कर लगभग 10 करोड़ रुपया की वित्तीय अनियमितता की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वित्तीय अनियमितता की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास को प्रारंभ करना

*157. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड के इटाढ़ी हाई स्कूल के मैदान में वर्ष 2020 से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये छात्रावास बनकर तैयार है, परंतु छात्रों का नामांकन नहीं होने के कारण छात्रावास बंद पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छात्रों का नामांकन कर छात्रावास को प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

*158. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत बेला के अन्तर्गत ग्राम-बहेरी टोला, देवनपुर में आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या 96 का अपना भवन नहीं रहने के कारण केन्द्र को पेड़ के नीचे संचालित किया जाता है तथा शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत कचौड़ी के ग्राम-फजलाहा में भी आँगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लीज देना

*159. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के उत्खनन हेतु सरकार द्वारा भूखंड पिछले 1-2 वर्षों से लीज पर देना बंद कर दिया गया है एवं लीज की अवधि समाप्त हो चुके भूखंड का पुन: लीज नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में कबतक पत्थरों के उत्खनन हेतु पुन: लीज देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*160. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया नगर पंचायत में इंडोर स्टेडियम नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पर रहा है, जबकि यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार चनपटिया नगर पंचायत में कबतक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि संधारण हेतु

*161. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का EPF के अंशदान की राशि प्रत्येक महीनें काटने के बावजूद विगत बीस महीनों से संबंधित खाते में संधारण नहीं होने से राशि पर ब्याज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसके लिये जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई के साथ-साथ राशि संधारण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति

*162. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के मात्र 59 प्रतिशत सरकारी विद्यालय में ही पुस्तकालय की सुविधा है, शेष में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिस विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा है उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से पुस्तकालय बंद होने के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित सभी स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आदेश का अनुपालन

*163. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत रामेश्वर यादव, मनिहारी कॉलेज, मनिहारी, कटिहार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त डॉ0 वासुदेव प्रसाद सिंह को भू0 ना0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा इसका अनुमोदन करने तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अपने अंतिम आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2016 में सभी हस्तक्षेप आवेदनों को विचार योग्य नहीं मानते हुये I.A. No.-6733/15 को अस्वीकार कर मूल याचिका CWJC No. 23808/12 खारिज करने के बावजूद अबतक प्रधानाचार्य को शासी निकाय ने पदभार नहीं दिया है, यदि हाँ, तो सरकार डॉ0 वासुदेव प्रसाद सिंह को यथावत उक्त कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*164. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंतज प्रखंड के तामगंज पंचायत स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, तामगंज में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय परिसर में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण

*165. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम पंचायत अईमां के ग्राम-कुमर विगहा वार्ड नं0 4 में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन नहीं रहने के कारण आंगनबाड़ी सेविका द्वारा बच्चों को शिक्षा जर्जर सामुदायिक भवन में दी जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम के वार्ड नं0 4 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*166. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत हसपुरा प्रखंड के ग्राम-डुमरा तथा ग्राम-सिंहाडी का खेल मैदान स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराकर कबतक चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*167. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत दंडारी प्रखण्ड के कटरमाला दक्षिणी पंचायत के अमरसा टोला के आस-पास दो कि0मी0 तक कोई सरकारी विद्यालय मौजूद नहीं रहने के कारण उक्त टोला में पूर्व से संचालित विद्यालय को भवन के अभाव में मध्य विद्यालय, बलहा शिफ्ट कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त टोला में गैर-majarua और वर्तमान में बंद संस्कृत विद्यालय की जमीन भी खाली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मुहल्ले के आस-पास उपलब्ध जमीन पर विद्यालय भवन का निर्माण कर विद्यालय संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*168. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी विधान सभा के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जगतपुरा (रामदीरी पंचायत-01) में सिर्फ एक शिक्षक के होने एवं चहारदीवारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है तथा छात्र-छात्राएं काफी असुरक्षित महसूस करती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के साथ चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नामकरण

*169. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय, सिसौनी के लिए भूमिदाता बाबू भगवानदत्त सिंह द्वारा दिनांक 9 अप्रील, 2015 को 5 कट्ठा 15 धूर जमीन का निबंधन महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से किया गया था, जिसका खाता एवं खेसरा संख्या क्रमश: 21 पुराना एवं 550 पुराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के ग्रामीणों द्वारा वर्णित विद्यालय का नाम भू-दाता बाबू भगवानदत्त सिंह प्राथमिक विद्यालय, सिसौनी करने हेतु वर्ष 2018-19 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को आवेदन दिया गया था, लेकिन आजतक उक्त विद्यालय का नामकरण भू-दाता के नाम से नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का नामकरण भू-दाता के नाम से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन, चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण

*170. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत लौरिया विधान सभा क्षेत्र के अंचल+प्रखंड लौरिया में पंचायत राज साठी अन्तर्गत एकमात्र संस्कृत विद्यालय का भवन काफी जर्जर अवस्था में है तथा इस विद्यालय में अबतक न तो शौचालय है और न चहारदीवारी ही है जिसके कारण छात्र-छात्राओं को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार सहित शौचालय एवं चहारदीवारी निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*171. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत चाँद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिलौटा की जमीन का अतिक्रमण होने एवं विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक का पदस्थापना कराना

*172. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत तरछा दामूचक पंचायत के हरना गाँव स्थित मध्य विद्यालय, हरना में कुल 5 कमरे हैं, जिसमें दो कमरा जर्जर होने के कारण वहां पठन-पाठन के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसके लिये 4 शिक्षक पदस्थापित हैं एवं नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 300 है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्यालय परिसर से सटे एक पोखर है एवं पोखर के तरफ विद्यालय की घेराबंदी नहीं होने के कारण बच्चों के सुरक्षा का खतरा बना रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने एवं विद्यलय की घेराबंदी कराते हुये पर्याप्त शिक्षकों की पदस्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*173. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनवाने का प्रावधान है जिसके तहत भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआँव और प्रखंड चरपोखरी में कोई स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्कूलों का भवन निर्माण कराना

*174. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, तेतारपुर, मध्य विद्यालय, जलालपुर, मध्य विद्यालय, भैरवा, मध्य विद्यालय, कुतलूपुर एवं मध्य विद्यालय, चैता में एक ही कमरा में विद्यालय चल रहा है एवं अन्य कमरा जीर्ण-शीर्ण हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टिकारी प्रखण्ड में वर्णित स्कूलों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बसों का किराया निर्धारित करना

*175. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत विभिन्न मार्गों यथा दरभंगा-कुशेश्वर स्थान, पोखराम-लहेरियासराय, सुपौल-सहरसा आदि पथों पर चलने वाली निजी एवं सरकारी बसों द्वारा मनमानी किराया की वसूली की जाती है, जिस कारण यात्रीगण को बहुत परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार दरभंगा जिला अन्तर्गत निजी एवं सरकारी बसों की किराया कबतक निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल व अन्य उपकरण मुहैया करना

*176. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार प्रखण्डै के 147 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल देने के लिये विभाग को पत्रांक संख्या 173/2021, दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के द्वारा एक सूची सौपें जाने के बावजूद अबतक इन्हें ट्राइसाइकिल व अन्य उपकरण नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल व अन्य उपकरण कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव का स्थानांतरण

*177. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय शहर के बस पड़ाव एवं रेलवे स्टेशन के बीच से गुजरने वाली सड़क से अत्यधिक संख्या में भारी वाहन सहित यात्री वाहन गुजरती है जिससे सड़क पार करने के दौरान यात्री दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं एवं हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार बस पड़ाव का स्थानांतरण अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियम को लागू करना

*178. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर इंटरस्तरीय विद्यालयों में नामांकन की व्यवस्था की गयी है, के अनुसार अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन अपने पोषक क्षेत्र में ही करवाने के लिये बाध्य हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार यह नियम प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की राशि में वृद्धि

*179. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा विधवा, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को प्रतिमाह चार सौ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है और यह राशि मंहगाई को देखते हुये तो कम है ही तथा अन्य राज्यों की तुलना में भी कम है, यदि हाँ, तो सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाने तथा प्रत्येक माह पेंशनधारियों के खातें में कबतक नियमित रूप से डालने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*180. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण स्थानीय छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*181. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैथर एवं पानापुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, चकिया में भवन की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*182. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के ग्राम-विजरा ग्राम पंचायत जलालपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे को 3 या 4 कि०मी० की दूरी तय कर पठन-पाठन हेतु दूसरे विद्यालय जाना पड़ता है तथा इस दलित बस्ती में स्कूल नहीं होने के कारण यहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*183. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के पंचायत डुमरी के ग्राम-भलुआड़ी कला महादलित टोला, पंचायत रिसियप के ग्राम- खेतपुरा तथा पंचायत सूही के ग्राम-दुधमी में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव डी०पी०आर० के साथ जिला कल्याण विभाग से मुख्यालय को प्राप्त है, परन्तु उसकी प्रशासनिक स्वीकृति अबतक नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति देना

*184. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परमेश्वरी वीणा संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत वित्त सहित संबद्ध महाविद्यालय है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा 35(2) कि तहत कबतक नियुक्ति के लिये पूर्वानुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण

*185. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड के डहुआ पंचायत अन्तर्गत डहुआ ग्राम के वार्ड नं० 08 में आंगनबाड़ी केन्द्र प्रस्तावित है, परंतु उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन नहीं होने के कारण छोटे बच्चों/बच्चियों को पढ़ने में असुविधा होती है, जबकि उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अर्हता के अनुरूप जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक डहुआ पंचायत के उक्त गांव के वर्णित वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय की व्यवस्था

*186. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "59% सरकारी स्कूलों में ही पुस्तकालय" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डायस की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य में 59% सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा है जबकि 41 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पुस्तकालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में 94.15% झारखंड में 93.15% और पश्चिम बंगाल में 95% विद्यालयों में पुस्तकालय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राज्यों के भांति बिहार के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था शत-प्रतिशत कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन

*187. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया स्थित रीगल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड (मकई फैक्ट्री) से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से आस-पास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, जिससे महामारी की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त फैक्ट्री से निकालने वाले अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंधन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*188. श्री विजय शंकर दुबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत भगवानपुर हाट प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, बनशोही एवं मध्य विद्यालय, भगवानपुर हाट आज भी भवन विहीन है जिसके चलते इन दोनों विद्यालय के छात्रों को पेड़ के नीचे बैठकर पठन-पाठन कराया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालयों में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शैक्षणिक व्यवस्था सुधारना

*189. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 2020 तक 3000 मध्य विद्यालयों के उच्च विद्यालय में अपग्रेड किये गये विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के वजह से छात्रों के शैक्षणिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपग्रेड किये गये विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण 2022 के मैट्रिक परीक्षा में पूरे बिहार में कुल 3,24,128 छात्र फेल हुये ;

(3) क्या यह बात सही है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2021 के अनुसार बिहार में दसवीं के 76 प्रतिशत छात्रों को साईंस की बेसिक जानकारी तक नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपग्रेड किये गये विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*190. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, दुरगाही एवं लखनौर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोनरे में विद्यालय भवन नहीं रहने से बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2009 से ही भूमि एवं राशि उपलब्ध होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय दुरगाही का भवन अबतक नहीं बन सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों का भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*191. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर उत्तर पंचायत के वार्ड नम्बर 12 स्थित प्राथमिक विद्यालय रामघाट टोला एवं वार्ड नम्बर 13 स्थित प्राथमिक विद्यालय अर्जुन टोला भवनहीन है जिसके कारण छात्रों को झोपड़ी में पढ़ाया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*192. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के सहूरी पंचायत के वार्ड संख्या 8 में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण वहाँ के बच्चों को दो किलो मीटर की दूरी तय कर अन्य प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्ड 7 एवं 8 मिलाकर लगभग 300 की आबादी है जिसमें दलित, अति पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है, साथ ही प्राथमिक विद्यालय हेतु जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानक के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण

*193. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रति रुझान एंव प्रोत्साहन हेतु प्रखंडों एवं जिलों में स्टेडियम निर्माण कराकर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करायी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय अन्तर्गत बी0 एन0 मंडल स्टेडियम एवं शिवनंदन मंडल +2 विद्यालय परिसर स्थित स्टेडियम मानक के अनुरूप नहीं रहने के कारण उक्त जिला मुख्यालय में रहने वाले युवाओं को खेल में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्टेडियम को मानक के अनुरूप निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में शौचालय का निर्माण

*194. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोचहाँ विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड मुशहरी एवं बोचहाँ में उच्च मध्य विद्यालय, शब्बाजपुर में आजतक शौचालय नहीं होने के कारण शिक्षक, शिक्षिका एवं बच्चे को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय में शौचालय निर्माण करने के विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराना

*195. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा में पंचायत भरौंधा के ग्राम-कुसमा बसडीहा उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा था, जिसका संवेदक द्वारा निर्माण कार्य प्लींथ लेवल तक कर अधूरा छोड़ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय वर्णित प्रखंड के सुदूर इलाका में अवस्थित है एवं वहाँ छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में कमरों की संख्या कम होने के कारण पठन-पाठन सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस की व्यवस्था

*196. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत सरमेरा प्रखंड से भाया बिंद, अस्थावाँ होते हुये पटना के लिये एक भी सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उस क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्र भ्रमण के क्रम में विभागीय मंत्री द्वारा परिवहन सुविधा प्रदान करने का आश्वासन क्षेत्र की जनता को दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सरमेरा प्रखंड से भाया बिन्द, अस्थावाँ होते हुये पटना तक के लिये सरकारी बस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*197. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जिला जमुई में प्राचार्य 01, उप-प्राचार्य 01, शिक्षक 62 एवं शिक्षकेतर कर्मी 63 सहित कुल 127 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के पद सृजित करने की स्वीकृति दिनांक 7 दिसम्बर, 2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गयी, लेकिन अभी तक बहाली प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी, जिससे विद्यालय के पठन-पाठन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही राज्य के छात्र-छात्राओं का आकर्षण उक्त विद्यालय के प्रति घट रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में स्वीकृत पद पर नियुक्ति कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*198. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-पदुमचक में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में कबतक प्राथमिक विद्यालय निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ करना

*199. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड मुख्यालय से सीधे पटना तक सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूला जाता है जिससे गरीबों को पटना आने-जाने में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बरौली प्रखंड मुख्यालय से सीधे पटना के लिए बस सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*200. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 36, दिनांक 26 अगस्त, 2008 के आलोक में स्टेडियम निर्माण हेतु स्थल का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, मुंगेर को विभागीय पत्रांक 256, दिनांक 9 मार्च, 2022 द्वारा निर्देश दिया गया था, परंतु अभीतक स्थल का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्थल का प्रस्ताव मंगाकर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*201. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पं0 रतौली के जय कुमार +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतौली में चहारदीवारी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा विद्यालय प्रांगण एवं खेल मैदान का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे पठन-पाठन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना

*202. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 6 माह पूर्व रोहतास जिला अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध सरकारी कार्य में अनियमितता के चलते आरोप-पत्र (प्रपत्र क) गठित हुआ है, उक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य होने के बाद भी वे पद पर बने हुए हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*203. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड में स्थित कलानंद उच्च विद्यालय, गड़बनैली के प्रांगण के उत्तर बाजार के तरफ 2 एकड़ जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के प्रांगण को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराते हुए चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*204. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जयपुर पंचायत में कैलाश मिश्र उच्च विद्यालय, जयपुर के सामने एवं बौंसी प्रखंड अन्तर्गत सी0एन0डी0 उच्च विद्यालय, बौंसी में खेल मैदान के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित प्रखंडों में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*205. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत इन्द्रवती उच्च विद्यालय, साखमोहन का विद्यालय भवन को छोड़कर शेष 10 एकड़ जमीन को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय, के जमीन को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र में सुधार

*206. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में छात्रा नमूना प्रवीण प्रोजेक्ट किसान बालिका उच्च विद्यालय, सोन्या किशनगंज ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इन्टरमीडीएट का परीक्षा में उत्तीर्ण हुवी, जिसके लिये बिना रजिस्ट्रेशन नं० के एडमिट कार्ड जारी किया गया था जिसे सुधार में भेजने पर जानकारी मिली कि एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है, जबकि बिना फोटो परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रौल कोड 93015 एवं रौल नं० 10006 नाम-नमूना प्रवीण को जारी अंक-पत्र और मूल प्रमाण-पत्र में भी फोटो नहीं डाला गया है, जिससे छात्रा को आगे की पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त छात्रा के एडमिट कार्ड, अंक-पत्र और मूल प्रमाण-पत्र में कबतक सुधार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बेंच की व्यवस्था

*207. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत प्रखण्ड फुलवारी शरीफ में (i) प्राथमिक विद्यालय, चौहरमल नगर (ii) प्राथमिक विद्यालय पोखर पर मुशहरी, भूसौला (iii) प्राथमिक विद्यालय, नौहसा (स्थानान्तरित नया टोला) तथा (iv) प्राथमिक विद्यालय, बोचाचक 1-5वीं वर्ग तक के स्कूली बच्चों के बैठने हेतु बेंच की व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं की गयी है यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिये कबतक बैठने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*208. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहाँ विधान सभा के प्रखंड मुशहरी से सटे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पार्क का

निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित स्थान पर पार्क का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शेड का निर्माण

*209. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213 काराकाट विध ान सभा क्षेत्र के बिक्रमगंज के उप-निबंधन कार्यालय, में निबंधन से संबंधित लेख्यकारों को बैठने के लिये शेड का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण बरसात एवं गर्मी के दिनों में लेख्यकारों सहित निबंध न कराने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उप-निबंध न कार्यालय के समीप शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*210. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के खजौली प्रखंड के चतरा गोवरौड़ा दक्षिणी में वार्ड 4 में स्थित प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन है, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण

*211. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोचाधामन प्रखण्ड के कटामठा पंचायत वार्ड नं० 5 अंतर्गत उ०म०वि० महसनगाँव में 2 भवन है, एक में दो कमरे का और दूसरे में छः कमरे है, जिसमें से दो कमरे वाली भवन की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण पठन-पाठन के क्रम में बच्चों तथा शिक्षकों में डर का भाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*212. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ताजपुर प्रखण्ड के कोठिया पंचायत के वार्ड नं० 6 स्थित प्राथमिक विद्यालय तथा रहिमाबाद कसाब टोला के वार्ड नं० 5 के प्राथमिक विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं कराया गया है और इन दोनों विद्यालयों को एक अन्य प्राथमिक विद्यालय से टैगगर चलाया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों के बच्चों को विद्यालय आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविकाओं को मोबाइल मुहैया कराया जाना–

*213. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी सेविका को वर्ष 2019 में विद्यालय सुचारू रूप से संचालन यथा बच्चों की उपस्थिति पोषाहार का वितरण एवं अन्य कार्य हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल दिया गया था परंतु कई सेंटरों पर मोबाइल खराब हो जाने के कारण सेविका के द्वारा सरकार को प्रतिदिन का रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है जिसके कारण कई सेविकाओं पर कार्रवाई भी की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविका को पुनः नया मोबाइल कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*214. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, महादेवबीघा भवन विहीन रहने के कारण दूसरे विद्यालय के साथ संबद्ध कर दिया गया है जिसके कारण छोटे बच्चों को अत्यधिक दूरी तय कर विद्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रों की संख्या के अनुपात में कमरों का निर्माण कराना

*215. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड मुख्यालय स्थित कन्या +2 उच्च विद्यालय में कुल 8 कमरा है, जिसमें एक कमरा में लैब, एक में कार्यालय, एक में स्मार्ट क्लास, एक में कम्प्यूटर एवं एक में लाईब्रेरी के लिये है जबकि विद्यालय में वर्ग 8 से लेकर +2 तक के कुल 1035 बच्चे हैं, शेष बचे तीन कमरों में पठन-पाठन का कार्य होता है जिससे छात्रों को कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में कमरों का निर्माण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*216. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अंतर्गत कलेर प्रखंड के मैनपुरा पंचायत के मुसेपुर एवं कथराइन टोला कंचन बिगहा में प्राथमिक विद्यालय अधूरा बना है, करपी प्रखंड के केयाल पंचायत के केयाल में प्लींथ लेवल तक जबकि केयाल पंचायत के ही बहेलिया बिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं बना है; जिसके कारण छात्र/छात्राओं के पढ़ाई बाधित होते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अधूरे विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*217. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के अनुमंडलीय शहर कहलगांव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन नहीं किये जाने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कहलगांव एवं इससे सटे आस-पास के इलाकों से भारी संख्या में यात्री नवगछिया, रंगरा चौक, कुर्सेला, गेड़ाबाड़ी, पूर्णियाँ, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, कटिहार सहित सीमांचल इलाकों की यात्रा सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण सड़क मार्ग से करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर राजकीय बस चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*218. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर के शीतलपुर पंचायत के मौजा महावीर चैक निकट छावनी महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कार्य कराने हेतु अंचलाधिकारी, कल्याणपुर ने अपने पत्रांक 311, दिनांक 26 फरवरी, 2022 द्वारा थाना नं० 148 खाता नं० 300, खेसरा नं० 3822, रकबा 50 फीट X60 फीट गैर-मजरुआ आम किस्म भूमि का नजरी नक्शा एवं प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी को भेज दिया है, परन्तु अभीतक इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का सौन्दर्यीकरण

*219. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड के कृष्ण नंद सूर्यमल इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय, सुलतानगंज के मैदान में स्थित स्टेडियम का चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण स्थित में रहने के कारण स्टेडियम के सौन्दर्यीकरण का टेंडर लगभग तीन वर्ष पहले ही हो चुका है परंतु अभीतक स्वीकृत राशि का आवंटन नहीं किया गया है, जिसके कारण सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राशि आवंटित कर उक्त स्टेडियम का सौन्दर्यीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*220. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत मझिगामा ग्राम में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मझिगामा का जमीन उपलब्ध होते हुये भी भवन निर्माण का कार्य नहीं किया गया है जिस कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान देना

*221. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में महादलित बच्चों को विद्यालययी शिक्षा से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा तालमी मरकजों एवं शिक्षा सेवकों की बहाली वर्ष 2008-09 में सर्वशिक्षा अभियान के तहत हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सर्वशिक्षा अभियान में नियुक्त तालमी मरकजों एवं शिक्षा सेवकों को 10 दिसम्बर, 2012 को जन-शिक्षा से जोड़ दिया गया और मानदेय रुपया 11,000 (ग्यारह हजार) दिया जा रहा है, जबकि पंचायत शिक्षकों को वेतनमान दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा सेवकों को प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देते हुये वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*222. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अन्तर्गत धर्मपुर पंचायत के उच्चतर माध्यमिक (10+2) विद्यालय में छात्र-छात्रों के अनुपात में कमरों की कमी है, जिसके कारण शिक्षण कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त विद्यालय में कबतक 10+2 स्तरीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*223. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत एक वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा पुपरी छात्रावास के मैदान में बच्चों के खेल-कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, परंतु अभीतक स्टेडियम के निर्माण की दिशा में कोई पहल/कार्रवाई नहीं होने से बच्चों का विकास अवरुद्ध हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शिलान्यास स्थल पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*224. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सिवान)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत सिवान प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सलेमपुर एवं बड़हरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुन्दरी में आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की कमी के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित विद्यालयों की आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन उन्नयन

*225. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, जानकी स्थान, जिला सीतामढ़ी से वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त हुये शिक्षक श्री कामेश्वर पाण्डेय सहित अन्य शिक्षकों को अभीतक कालबद्ध प्रोन्नति सहित वरीय वेतनमान एवं प्रवरण वेतनमान नहीं मिल सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति सहित वेतनमान देने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

*226. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर उत्तर पंचायत के वार्ड नम्बर 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र को अपना भवन नहीं है, जिससे उल्लेखित सभी केन्द्रों को किराये के मकान में संचालित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उल्लेखित सभी आँगनाबाड़ी केन्द्र का अपना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*227. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत अस्थावाँ विधान सभा क्षेत्र के चकदीन उच्च विद्यालय (+2) का मैदान जो सारी अर्हताओं को पूरा करती है में स्टेडियम नहीं होने से खेल प्रेमियों एवं युवाओं में खेल के प्रति बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त मैदान में कबतक स्टेडियम का निर्माण कराकर खेल को बढ़ावा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

*228. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के चकफैज पंचायत के वार्ड नम्बर 5 के ग्राम-रामपुर कुम्हरकोल में स्थित बालिका मध्य विद्यालय का भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*229. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के राजकीय उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) विद्यालय, मधौल का भवन जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षण कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त (10 + 2) विद्यालय में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*230. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत राजेन्द्र वाल उद्यान, रजनी चौक उद्यान सहित अन्य उद्यान को विकसित करने एवं सौंदर्यीकरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर नगर निगम, पूर्णियाँ उक्त उद्यानों का हस्तानांतरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को कर दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उद्यानों का हस्तानांतरण होने के बाद भी उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य लम्बित है उद्यान के आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण के अभाव में स्थानीय बच्चों मनोरंजन के साधन से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियाँ नगर निगम से हस्तानांतरित राजेन्द्र वाल उद्यान, रजनी चौक उद्यान सहित अन्य उद्यान को विकसित करने एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*231. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करूप पंचायत के ग्राम-डिलिया में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं होने के कारण छोटे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पठन-पाठन करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 जून, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 19(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550